

समाज कल्याण, संचालनालय, छत्तीसगढ़

समाज कल्याण परिषद, माना कैम्प, रायपुर

फोन - 0771 2277001, ईमेल - dpaw.cg@gov.in, वेबसाइट - sw.cg.gov.in

माना कैम्प, रायपुर, दिनांक 12/07/2023

कमांक/सक/55/2023/1079

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, छत्तीसगढ़
3. समस्त संयुक्त/उप संचालक
समाज कल्याण, छत्तीसगढ़
4. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़
9. समस्त आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका/नगर पंचायत, छत्तीसगढ़

विषय :- सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि में वृद्धि विषयक।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक-एफ-2-36/2023/26, दिनांक 04.07.2023

---000---

विषयान्तर्गत संदर्भित संलग्न पत्र द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि रूपये 350/- प्रतिमाह में वृद्धि कर दिनांक 01 जुलाई, 2023 से राशि रूपये 500/- प्रतिमाह की गई है।

राशि में वृद्धि किये जाने के उपरांत समस्त पेंशन योजनाओं में निम्नानुसार पेंशन राशि देय होगी-

कमांक	योजना का नाम	वर्तमान देय पेंशन राशि (प्रतिमाह)	01 जुलाई, 2023 से देय पेंशन राशि (प्रतिमाह)
1	2	3	4
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	60-79 वर्ष आयुवर्ग हेतु - 350/- प्रतिमाह (200/- केन्द्रांश, 150/- राज्यांश) 80 वर्ष या अधिक आयु हेतु-	60-79 वर्ष आयुवर्ग हेतु - 500/- प्रतिमाह (200/- केन्द्रांश, 300/- राज्यांश) 80 वर्ष या अधिक आयु हेतु-

		650/- प्रतिमाह (500/- केन्द्रांश, 150/- राज्यांश)	650/- प्रतिमाह (500/- केन्द्रांश, 150/- राज्यांश)
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	350/- (300/- केन्द्रांश 50/- राज्यांश)	500/- (300/- केन्द्रांश 200/- राज्यांश)
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	500/- (300/- केन्द्रांश 200/- राज्यांश)	500/- (300/- केन्द्रांश 200/- राज्यांश)
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	350/- (राज्य योजना)	500/- (राज्य योजना)
5.	सुखद सहारा योजना	350/- (राज्य योजना)	500/- (राज्य योजना)
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	350/- (राज्य योजना)	500/- (राज्य योजना)

उपरोक्तानुसार विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-03/2014/क/26, दिनांक 28.04.2014 तथा क्रमांक समसंख्यक, दिनांक 28 अगस्त 2014 से जारी निर्देशों के अनुरूप पेंशन राशि का भुगतान प्रतिमाह नियमित किया जावे।

(रमेश कुमार शर्मा)
आई.ए.एस.

संचालक

समाज कल्याण संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

पु. क्रमांक/सक/55/2023/1049

माना कैम्प, रायपुर, दिनांक 12/07/2023

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटलनगर को सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त, रायपुर, विलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग को सूचनार्थ।
3. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।

(रमेश कुमार शर्मा)
संचालक 12/07/2023

समाज कल्याण संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक-एफ-2-36/2023/26

अटल नगर, दिनांक 4/07/2023

प्रति,


✓ संचालक,
समाज कल्याण संचालनालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि में वृद्धि प्रस्ताव विषयक।

राज्य शासन एतद् द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि रूपए 350/- से बढ़ाकर राशि रूपए 500/- प्रतिमाह 01 जुलाई 2023 से किए जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

3/ उक्त सहमति वित्त विभाग के जावक क्रमांक-758/वित्त विभाग-ब-1, दिनांक 23.06.2023 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(गौरीशंकर शर्मा) 4/7/23

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

समाज कल्याण विभाग

अटल नगर, दिनांक 10/7/2023

पृ.क्रमांक-एफ-2-36/2023/26

प्रतिलिपि :-


1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर;
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर;
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर रायपुर;
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर;
5. लेखाधिकारी, लेखा-शाखा, समाज कल्याण संचालनालय, रायपुर (छ.ग.);
6. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़;
7. समस्त संयुक्त/उप संचालक, छत्तीसगढ़;
8. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

Page 193

DD (म)

(Add.d.)
06 JUL 2023


संचालक
समाज कल्याण
छ.ग. रायपुर

